

“बिजली आज तक डाट काम” वेबपोर्टल पर  
ऑनलाइन मिलेगी बिजली से सम्बन्धित सारी जानकारी

जयपुर, 12 सितम्बर। राजस्थान के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत क्षेत्र की विभिन्न जानकारियां एवं गतिविधियों के बारे में ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने के लिये जयपुर डिस्काम द्वारा प्रवर्तित वेबपोर्टल “बिजली आज तक डाट काम” का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्रीमति वसुन्धरा राजे द्वारा गुरुवार 11 सितम्बर को मुख्यमंत्री कार्यालय में किया गया। इस वेबपोर्टल पर बिजली से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।

**केलकुलेटर से बिजली बिल गणना की सुविधा**

इस वेबसाइट पर बिजली से सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारियों के साथ ही बिल केलकुलेटर की सुविधा भी है, जिसमें उपभोक्ता बिजली की रीडिंग डालकर अपने बिजली बिल की अनुमानित राशि की गणना भी कर सकते हैं।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि इस वेबपोर्टल का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के नागरिकों/विद्युत उपभोक्ताओं को विभिन्न जानकारी तथा सूचना, यथा अनुमानित बिजली के बिल की गणना, राज्य में विद्युत उत्पादन की स्थिति, विद्युत कम्पनियों द्वारा विद्युत खरीद की जानकारी, प्रचलित विद्युत दरों की सूचना, जिलेवार विद्युत चौपालों की सूचना को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त सूचनाओं के अतिरिक्त इस पोर्टल द्वारा आम नागरिक/बिजली उपभोक्ता अपने-अपने क्षेत्रों में विद्युत कटौती की जानकारी, बिजली कम्पनियों द्वारा जनहित में जारी परिपत्रों एवं जिलेवार विद्युत दुर्घटनाओं की सूचनाएं भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में जारी योजनाओं की जानकारी एवं जिलेवार विभिन्न विद्युत संबंधी गतिविधियों की सूचनाएं भी उपलब्ध होंगी।

श्री गुप्ता ने बताया कि इस वेब पोर्टल पर बिजली कम्पनियों की मीटिंग, अधिकारियों के मोबाइल नम्बर की जानकारी भी अपडेट उपलब्ध रहेगी।



 **Bijli Aaj Tak**  
Delivering electricity information to you

Home Toll Free Nos Contact Us



Hon'ble  
Chief Minister  
Rajasthan



Hon'ble  
Energy Minister  
Rajasthan

Electricity Bill Calculator	Electricity Generation	Electricity Purchase	Power Cut
Electricity Tariff	Distribution Map	Accidental	Directory

**Corporate Level News**

**Sub Category**

- Important Circular Issued

Compliance of directions issued by "Rajasthan State Pollution Control Board" to disconnect the electric supply of consumer(s) for non